



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)
Phone No. 07752- 260342, 260381, Website www.ggu.ac.in

क. 981/भंडार/मुद्रण/2013 निविदा सूचना बिलासपुर, दिनांक 06.02.2013
विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित कार्यों हेतु निविदाएँ आमंत्रित हैं:-

क्र.	कार्य का नाम	अमानत राशि	निविदा शुल्क
1.	सामान्य मुद्रण कार्यों के लिए दर अनुबंध	50,000/-	500/-
2.	फोटोकॉपी/एस.टी.डी./पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा हेतु दर अनुबंध	20,000/-	500/-

इच्छुक निविदाकारों की निविदाएँ दिनांक 26.02.2013 अपरान्ह 3.00 बजे तक सहायक कुलसचिव, भंडार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी बिलासपुर के नामें आमंत्रित हैं। दिनांक 26.02.2013 को अपरान्ह 4.00 बजे प्राप्त निविदाएँ खोली जायेंगी। निविदा दस्तावेजों एवं अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय वेब पटल www.ggu.ac.in देखें अथवा कार्यालयीन समयावधि में भंडार विभाग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में संपर्क करें।

**आदेशानुसार
कुलसचिव**

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)
Phone 07752-260342,260381, Website www.ggu.ac.in

फोटोकॉपी, एस.टी.डी,पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा हेतु दर अनुबंध

निविदा सूचना सत्र 2012-13



क्रमांक 981/भंडार/2013 बिलासपुर, दिनांक 06.02.2013
जमा करने की अंतिम तिथि दोपहर 3.00 बजे तक



निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

कार्य:- फोटोकापी, एस.टी.डी,पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा

आवश्यक सूचना / निर्देश

di; k fufonk Hk s t kus ds iwZ fuEu fyf/kr funZkk @l puk dks Hyh Hkr iBu dj yoo rnuh kj gh ifjivkZ fufonk dks fu; r frfFk fnukd 26-02-2013 dks nkgj 3.00 ct s ds iwZ ia hkr Md@LiM@dji; j ikV 1s 1gk d dyl fpo/ Hkhj foHkx xq ?kk hnd fo'olo/ky; / dhu/ fcyk ig AN0x0/495009/ ds irsij lhy ca fyQkQseai fkr djd

कार्य:-	: फोटोकापी, एस.टी.डी,पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा
कार्य हेतु अनुबंध की अवधि	: दो वर्ष (प्रथमतः एक वर्ष, संतोषजनक कार्य पर समयवृद्धि की जावेगी)
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	: दिनांक 26.02.2013 को दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र मूल्य	: रु. 500/- वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि	: रु. 20,000/- वि0वि0 की शर्त अनुसार वापसी योग्य

निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र/वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

- 01 निविदा सूचना के अनुसार फोटोकापी, एस.टी.डी,पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा हेतु निविदा प्रपत्र की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।
- 02 निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 03 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में ही आवेदन करना होगा जिसमें सील मुद्रा व निविदाकर्ता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- 04 वि0वि0 द्वारा प्रारूप के साथ उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र (जिसमें निविदाकर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) एवं वि0वि0 की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त (जिसमें निविदाकर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) अनिवार्य रूप से निविदा के साथ जमा करें। अन्यथा आपके द्वारा जमा की गई निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 05 यदि निविदाकर्ता वि0वि0 से कुलसचिव, गुरु घासीदास वि0वि0 के नाम से रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करता है तो ऐसे निविदाकार को उस बैंक ड्राफ्ट की विस्तृत जानकारी प्रपत्र में उपलब्ध करानी होगी।
- 06 यदि निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेब साईट www.ggu.ac.in से डाउन लोड किया गया है, तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य रु. 500/- की राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है।

- 07 निविदा के साथ अमानत राशि (संबंधित कार्य/अनुबंध/सामग्री प्रदाय हेतु निविदा सूचना में उल्लेखित अमानत राशि के अनुसार) रेखांकित बैंक डिमांड ड्राफ्ट कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
- 08 विश्वविद्यालय में समान कार्य/सामग्री प्रदाय के काम का अनुभव संबंधी प्रमाण ।
- 09 वाणिज्य कर/सक्षम विभाग द्वारा जारी, फर्म का वैद्य/जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।(यदि लागू हो)
- 10 **PAN /TIN** (जो भी लागू हो) कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति ।
- 11 सामग्री का अधिकृत वितरक/विक्रेता प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- 12 टर्न ओव्हर सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति (कम से कम तीन वर्षों की) संलग्न करें। (यदि लागू हो)
- 13 कोई अन्य दस्तावेज जो निविदाकर्ता प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हो ।
(यदि लागू हो)

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

दिनांक

फर्म/कम्पनी का नाम

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहायक कुलसचिव (भंडार)



निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा

fufonk iz= dk eW; :- 500@&

izfr/

l gk; d dyl fpo/ HhMj foHhx 1/2
xq ?Hh lml fo' ofo/ky;]
feykl ij W-x-1/2

fo'k Hh फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा उपलब्ध कराने विषयक।

eghn;]

mijlDr fo'k lsl w/kr nSud l elplj i= h e a izlW'kr fufonk Øekal --
-----@HhMj@emzk@13 feykl ij] fnukal ----- ds l wlk ea fuosu gSfd/]
geus fufonk iz= eamlysf/kr l eLr 'krkZ dk Hyh HhMj i Bu dj fy; k gS, oage
l Hh 'krZ ekH' gH vr% ejh QeZ } ljk फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा
fo' ofo/ky; e a iznku djus g r q fufonk vlosnu fuEukuq lj i Zrq gSA

1 fufonkdrkZ QeZ dk ule , oai wZirk -----

2 fufonkdrkZ dk ule -----

3 fufonk iz= iHr djus dk ek; e -----

fo' ofo/ky; HhMj 'Hh l s; k fo' fo' o as l hZ l s Mnu yHh dj 1/2

4 vekur jk'k : -20/000@& dk csl MIV Ø -----

csl dk ule , oafnukal -----

5 olf. Hh; dj foHhx } ljk t ljh QeZ dk oS @t Hfor i t h u dØ -----

1/2 ek ki= dh i ek. kr Nk k i fr l aXu djuk vfuok; Zg%

6 VuZvHgj l fVZQdV dh l R; HhMj izfr 1/2 de l s de rhu o' HhZ dh 1/2 l aXu dj

1/2 in ykxugk%

7 फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा dh nj fo' ofo/ky; } ljk mi yCk

djk sx; s l aXu i k lk ea vadr gS

8 fufonk iz= dh dyl i luk l d; k ----- gS, oaejs } ljk fuEufyf/kr nLrkot

fufonk ds l Hh l aXu gHh 1

2

fufonkdrkZ dk ule -----

fufonkdrkZ dk gLrk lj -----

fnukal -----

QeZ dEi uh dk ule -----

irk -----

njHh'k Øekal -----

मोबाईल नम्बर



निविदा सूचना क्रमांक दिनांक
फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा

I) फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने से संबंधित विशेष नियम एवं शर्त
वर्तमान प्रस्तावित स्थल:— 1. प्रशासनिक भवन, 2. केन्द्रीय ग्रंथालय के भीतर

1. विश्वविद्यालय परिसर में फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा हेतु अमानत राशि रु. 20,000/- (बीस हजार) मात्र का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी हो तथा कुलसचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम पर देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा, निविदा सूचना के अनुसार कुल दो वर्षों तक विश्वविद्यालय में स्वीकृत दर पर विश्वविद्यालय की शर्तों के साथ उपलब्ध कराना होगा। निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद रहने पर आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय छः माह तक की समय वृद्धि, निविदाकर्ता की सहमती से वि0वि0 की शर्तों के साथ अधिकतम दो बार वि0वि0 हित में कर सकता है। अतएव निविदाकर्ता को वि0वि0 द्वारा स्वीकृत दर अनुसार ही उपरोक्त सुविधा विश्वविद्यालय में प्रदान करना होगी।
3. फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा, समस्त करों सहित विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दैनिक कार्य समय के अनुसार, स्वीकृत दर पर ही उपलब्ध कराना होगा।
4. निविदा के साथ, फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा वांछित पेपर आदि (जिसे निविदाकर्ता द्वारा प्रमाणित/प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो) का नमूना, संलग्न कर ही, निविदा प्रेषित करना होगा।
5. निविदा में दर्शायी गयी दरें अनुबंध की तिथि से दो वर्षों के लिए लागू रहेगी।
6. विश्वविद्यालय परिसर में फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा, निविदाकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय की शर्तों के साथ प्रदान करनी होगी एवं फर्म को इस कार्य से संबंधित समस्त उपकरणों, फर्नीचर आदि की व्यवस्था एवं उनके रख रखाव आदि का व्यय भार वहन करना होगा।
7. विश्वविद्यालय बालक एवं बालिका छात्रावास में पृथक-पृथक एक-एक पे-फोन लगाना होगा एवं अन्य संबंधित सुविधा उपलब्ध विश्वविद्यालय के शर्तों के साथ उपलब्ध करानी होगी।

8. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रांगण में आवश्यकतानुसार अन्य चिन्हित स्थानों पर भी स्वीकृत दर पर ही विश्वविद्यालय के शर्तों के साथ फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा, उपलब्ध करानी होगी।
9. फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा की दर स्वीकृत होने पर दर की सूची आम जन हेतु बड़े अक्षरों में दुकान में लगानी होगी।
10. फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा प्रदान करने पर मशीनों में लगने वाले विभिन्न प्रकार की अच्छे/उचित गुणवत्ता की सामग्री (यथा स्टेशनरी, पेपर, मशीन, प्रयुक्त होने वाले इंक आदि) की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं, अपने व्यय पर करनी होगी।
11. मशीनों/उपकरणों के संचालन, कक्ष एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु होने वाले विद्युत खर्च (नियमानुसार समस्त व्यय भार सहित) का मासिक भुगतान निविदाकर्ता, विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग के माध्यम से चालान के द्वारा, पंजी संधारण करते हुए, नियमित रूप से करना होगा। रसीद की एक छायाप्रति प्रति माह, निविदाकर्ता, भंडार शाखा में भी उपलब्ध करायेंगे।
12. निविदाकर्ता विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/उप विभागों के लिये जो भी फोटोकापी का कार्य करेगा उसे निविदाकर्ता विभागवार पंजी में संधारित करेगा, एवं पंजी में संयुक्त रूप से, निविदाकर्ता द्वारा नियुक्त मशीन आपरेटर एवं विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग/उप विभाग के नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी/विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा, जो कि अनिवार्य होगा।
13. फोटोकापी का कार्य गुणवत्तायुक्त कागज पर, स्वच्छ/दाग रहित किया जाना होगा अन्यथा निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये देयको से कटौति कर ली जावेगी। ऐसे अवांछनीय कार्य की बारम्बार पुनरावृत्ति होने पर विश्वविद्यालय अनुबंध समाप्त करने, सुरक्षा निधि को जप्त करने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्य हेतु फोटोकापी कार्य को प्राथमिकता देना होगा।
15. फोटो कापी, फैक्स एवं एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधा प्रदान करने के कार्य हेतु निविदाकार द्वारा निविदा में दी गई दर पर विश्वविद्यालय द्वारा निगोसियेशन किया जा सकता है।
16. फोटो कापी, फैक्स एवं एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधा उपलब्ध कराते हुए कार्यालय का संचालन प्रशासनिक भवन एवं केन्द्रीय ग्रंथालय के भीतर और पे फोन की सुविधा पृथक-पृथक बालक व बालिका छात्रावासों में उपलब्ध करानी होगी। आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार स्थानों में परिवर्तन करने, अतिरिक्त स्थानों में सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदाकर्ता को निर्देशित किया जा सकेगा जिसे निविदाकर्ता को मान्य करना होगा एवं स्वीकृत दर पर ही विश्वविद्यालय के शर्तों के साथ निविदाकर्ता को वांछित सुविधाएं यथा निर्देशित स्थानों पर अविलंब उपलब्ध करानी होगी।
17. फोटो कापी, फैक्स एवं एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दर एवं विश्वविद्यालय के शर्तों के साथ ही, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को नगद भुगतान करने पर प्रदान करनी होगी। किसी भी प्रकार के ऐसे देयकों हेतु विश्वविद्यालय जवाबदार नहीं होगा।

18. विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा कराये गये फोटोकापी/फैक्स कार्य के देयकों का भुगतान संबंधित विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापित देयक को प्रस्तुत करने पर संबंधित विभाग द्वारा मासिक रूप से किया जावेगा।
19. फोटो कापी, फैक्स एवं एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधा के कार्य के लिये यदि निम्नगुणवत्ता , अवांछित कृत्य/गतिविधि, विश्वविद्यालय के नियम शर्तों की अनदेखी आदि से संबंधित शिकायत यदि निविदाकर्ता के विरुद्ध प्रकाश में आयेगी तो विश्वविद्यालय हित निविदाकर्ता को अधिकतम एक माह का नोटिस दिया जाकर अनुबंध समाप्त करने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा एवं विश्वविद्यालय का प्रत्येक निर्णय निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।
20. फोटोकापी का कार्य के लिए कागज की गुणवत्ता निविदा में दी गई ब्रांड/कंपनी के अनुसार ही करना होगा।
21. निविदा प्रपत्र, घोषण पत्र एवं नियम शर्त के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को सील सहित हस्ताक्षर करना होगा।
22. निविदाओं से प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किसी निविदाकर्ता से कार्य कराये जाने की बाध्यता विश्वविद्यालय पर नहीं होगी।
23. निविदाकर्ता के किसी भी बड़े संस्थान में संबंधित कार्य का न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव होने पर ऐसे निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय संबंधित कार्य/सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जा सकती है।
24. निविदाकर्ता को मशीन के संचालन एवं अन्य कार्य हेतु अपने व्यय पर आपरेटर व अन्य कर्मचारी की व्यवस्था, भुगतान आदि करना होगा। ऐसे कर्मचारियों के किसी भी प्रकार की जवाबदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी।
25. फोटो कापी के कार्य हेतु निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक स्थान के लिए पृथक-पृथक रू. 500/- प्रति माह विश्वविद्यालय को नियमित रूप से जमा करना होगा एवं चालान की एक प्रति भंडार शाखा में जमा करते हुए पंजी का संधारण करना होगा।
26. निविदाकर्ता को समय-समय पर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार अवकाश के दिनों में एवं आवश्यकता अनुसार कार्यालयीन समय के बाद एवं पहले, फोटोकापी, फैक्स एवं एसटीडी/पीसीओ सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
27. निविदाकर्ता यदि मशीन के खराब होने, आपरेटर के अनुपलब्ध रहने एवं अन्य ऐसे कारणों से फोटोकापी, फैक्स एवं एसटीडी/पीसीओ सुविधा देने में असमर्थ रहता है, जिसके लिए निविदाकर्ता स्वयं जवाबदार है, तो निविदाकर्ता विश्वविद्यालय को दण्ड के रूप में रू. 500/- की दर से प्रत्येक दिवस (जितने दिन सुविधा बाधित होगी) राशि का भुगतान करेगा। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय का कोई भी निर्णय निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।

- 28 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह नहीं खोली जावेगी तथा मूलतः निविदाकर्ता को वापस लौटा दी जावेगी।
- 29 विश्वविद्यालय निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर पर सामग्री का क्रय करने एवं किसी कार्य को कराये जाने के लिये बाध्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय सामग्री की गुणवत्ता एवं निविदाकर्ता के समान कार्य के अनुभव के आधार पर विश्वविद्यालय हित में किसी भी सामग्री को क्रय करने एवं किसी भी निविदाकार से कार्य कराये जाने का निर्णय ले सकता है।
- 30 किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कार्य के लिए निविदा कर्ता फर्म को किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय या कोई अन्य प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
- 31 निविदा में दर्शायी गई दरों में ~~Overwriting~~ होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। कृपया दरों को सुलेख अक्षरों में भी अंकित करें।
- 32 किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता फर्म को सामग्री का प्रदाय/कार्य संपादन वि०वि० के कार्य/क्रय आदेश के अनुरूप पूर्ण करने के पूर्व अग्रिम भुगतान या आंशिक भुगतान की पात्रता नहीं होगी।
- 33 कुलसचिव गुरु घासीदास, विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को यह अधिकार होगा कि वह एक या एक से अधिक निविदा स्वीकृत करे या किसी भी समय किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर देवे।
- 34 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा प्रपत्र में ही निविदा कर्ता अथवा पार्टनर या उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही निविदा की दरें भरी जाकर हस्ताक्षरित हो अथवा निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 35 फर्म के द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होनी चाहिए एवं किसी भी समय यदि विश्वविद्यालय को यह ज्ञात होता है कि फर्म ने किसी अन्य संस्थान/कार्यालय में समान प्रकार के कार्य/सामग्री का प्रदाय करने हेतु इस निविदा में प्रस्तुत दर से कम में, कार्य किया/सामग्री प्रदाय किया है तो, विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि फर्म के देयक से एवं फर्म द्वारा जमा की गई अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि में से अंतर की आधिक राशि की कटौति कर लेवे।
- 36 कार्य/सामग्री प्रदाय के दौरान यदि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर बिजली कटौति या मशीन के ब्रेक डाउन या हड़ताल या परिवहन की समस्या किसी अन्य कारण से सामग्री प्रदाय करने में बाधा उत्पन्न होती है तो निविदाकर्ता के आवेदन के परीक्षणोपरांत, कुलसचिव के सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर, निविदा कर्ता के आवेदन पर समयवृद्धि (कटौती के बिना या कटौती के साथ) मान्य की जा सकेगी। परंतु निविदाकर्ता को इस विलंब के लिये अतिरिक्त राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

- 37 निविदाकर्ता द्वारा एक बार अपनी निविदा विश्वविद्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर देने के पश्चात् यदि वह निविदा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे निविदाकर्ता को निविदा खोले जाने के पूर्व इस आशय का लिखित आवेदन कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता निविदा से बाहर होने संबंधी आवेदन नहीं कर सकेगा अन्यथा निविदा कर्ता की अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जप्त करते हुए फर्म को विश्वविद्यालय, अपनी काली सूची में सूची बद्ध करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 38 निविदाकर्ता निविदा को पंजीकृत डाक से प्रेषित करने के बाद यदि निविदा में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहता है या फिर प्रस्तुत की गई दर में संशोधन करना चाहता है तो, ऐसे निविदा कर्ता को पृथक से एक लिखित आवेदन के साथ कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कोनी, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम पंजीकृत डाक से विश्वविद्यालय को निविदा खोले जाने के पूर्व तक प्रेषित कर सकता है। निविदा खोले जाने के उपरांत निविदाकर्ता के किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
- 39 निविदा में क़य/कार्य हेतु दर्शायी गई मात्रा/अनुमानित राशि को कम या अधिक करने का अधिकार कुल सचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. के पास सुरक्षित रहेगा। निविदाकर्ता पर संशोधित मात्रा/राशि के अनुरूप सामग्री प्रदाय/कार्य संपादित विश्वविद्यालय के नियम व शर्तों के साथ करना बंधन कारी होगा।
- 40 निविदा में दर्शायी गई दर में समस्त व्यय सम्मिलित माना जावेगा एवं प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय वि0वि0 द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 41 निविदाकर्ता फर्म का यदि विश्वविद्यालय में पूर्व का कोई भी देयक लंबित होगा या पूर्व के किसी भी विभाग कि निविदा हेतु अमानत राशि/सुरक्षा निधि विश्वविद्यालय के पास जमा होगी तो ऐसे समस्त देय/जमा राशि/एफ डी आर को इस निविदा के लिये अमानत राशि/सुरक्षा निधि के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा। अतः इस निविदा हेतु समस्त राशि को पृथक से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा अन्यथा फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

- 42 अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा यह राशि समय सीमा समाप्ति पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर मूलतः वापस कर दी जावेगी।
- 43 अंतिम रूप से निविदा स्वीकार होने के पूर्व यदि निविदाकर्ता निविदा वापस लेना चाहे अथवा जिनकी दरें कय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होगी उनकी अमानत राशि आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के मूलतः वापस लौट दी जावेगी।
- 44 विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में दी गई नियम व शर्त में संशोधन करने, अतिरिक्त शर्त जोड़ने एवं विश्वविद्यालय हित में किसी नियम/शर्त को शिथिल करने का पूर्ण विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा एवं निविदा कर्ता पर बंधनकारी रहेगा।
- 45 निविदा खोले जाते समय निविदाकर्ता स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (निविदाकर्ता द्वारा जारी अधिकार पत्र के साथ) समिति के समक्ष उपस्थित रह सकता है।
- 46 किसी भी विवाद की स्थिति में पहली अपील कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को विवाद उत्पन्न होने की तिथि के एक सप्ताह के अंदर तथा द्वितीय अपील दो सप्ताह के अंदर कुलपति महोदय, को किया जा सकेगा। माननीय कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0, निर्णय हेतु प्रकरण को किसी भी आरबीट्रेटर के पास भेज सकेगे (आरबीट्रेडेशन एक्ट के अनुसार)। ऐसे प्रकरण में कुलपति जी के स्वयं का निर्णय या आरबीट्रेटर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
- 47 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में बिलासपुर (छ0ग0) न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।
- 48 फर्म को प्रत्येक सामग्री/कार्य के लिए दर प्रदान करना आवश्यक है। यदि फर्म किसी सामग्री/कार्य में अपनी दर अंकित नहीं करती है तो यह मान लिया जायेगा कि फर्म उस सामग्री/कार्य की दर अन्य सामग्री/कार्य में समाहित कर ली गई है एवं सामग्री/कार्य को विश्वविद्यालय को निशुल्क देने को तैयार है।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहायक कुलसचिव (भंडार)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)
 [A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]
 Phone No. 07752- 260342, 260381, Website www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

कार्य :- फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा

फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा के कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में दी गई समस्त विशेष एवं सामान्य नियम व शर्तों को मान्य करते हुए, फर्म द्वारा निम्नानुसार दर प्रस्तुत है:-

(फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा विश्वविद्यालय में उपलब्ध वि०वि० की शर्तों के साथ कराने हेतु फर्म की दर समस्त व्यय सहित एवं पृथक से देय टैक्स का प्रतिशत उल्लेख करते हुए देवें।)

अ) फोटो कापी एवं फैक्स कार्य (संयुक्त कार्य) हेतु दर (रूपये में)					
क्र.	विवरण	एक पृष्ठ पर फोटो कापी		दोनों पृष्ठों पर फोटो कापी	
		ए-3 साईज	ए-4 साईज	ए-3 साईज	ए-4 साईज
1	जे.के. ब्रांड पेपर				
2	जे.के. रेड पेपर				
3	ग्रीन पैकेट ईजी पेपर				
4	अन्य ब्रांड का पेपर				
5	एफ एस लीगल साईज पेपर				
6	अन्य ब्रांड				

ब) फैक्स सुविधा के कार्य हेतु दर			
क्र.	विवरण	दर (रूपये में) प्रति पृष्ठ	अन्य विवरण (यदि कोई हो)
1	फैक्स भेजने की दर		
2	फैक्स प्राप्त करने की दर		



निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

कार्य :- फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा

फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा के कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में दी गई समस्त विशेष एवं सामान्य नियम व शर्तों को मान्य करते हुए, फर्म द्वारा निम्नानुसार दर प्रस्तुत है:-

स) एस.टी.डी./पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा के कार्य हेतु फर्म द्वारा मासिक पर वि0वि0 को प्रदान किये जाने वाली कमिशन का प्रतिशत दर			
क्र.	विवरण	कमिशन का प्रतिशत	अन्य विवरण (यदि कोई हो)
1	फैक्स हेतु		
2	एस.टी.डी व पी.सी.ओ. हेतु		

द) केवल फोटोकापी का कार्य हेतु कमीशन का प्रतिशत दर (रूपये में)					
क्र.	विवरण	एक पृष्ठ पर फोटो कापी		दोनों पृष्ठों पर फोटो कापी	
		ए-3 साईज	ए-4 साईज	ए-3 साईज	ए-4 साईज
1	जे.के. ब्रांड पेपर				
2	जे.के. रेड पेपर				
3	ग्रीन पैकेट ईजी पेपर				
4	अन्य ब्रांड का पेपर				
5	एफ एस लीगल साईज पेपर				
6	अन्य ब्रांड				

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहायक कुलसचिव (भंडार)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)
[A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]
Phone No. 07752- 260342, 260381, Website www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक दिनांक
कार्य:- फोटोकापी, एस.टी.डी, पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा पत्र

निविदाकर्ता कृपया घोषणा पत्र का भली भांति पठन करने के उपरांत फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए निविदाकर्ता अपना स्वयं हस्ताक्षर करें एवं इसे आवश्यक रूप से निविदा के साथ जमा करें। निविदा के साथ घोषणा पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

फर्म यह घोषणा करता है कि, विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त का निविदाकर्ता द्वारा भली भांति पठन कर लिया है एवं समझ लिया गया है। निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम व शर्त मान्य है एवं निविदाकर्ता/फर्म पर बंधनकारी है। निविदाकर्ता/फर्म ने विश्वविद्यालय द्वारा निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति, वांछित राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर दिया है। निविदा में, फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य नहीं है। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में किसी प्रकार की काट छांट नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा वांछित दस्तावेज, राशि, सामग्री का नमूना आदि मेरे द्वारा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा में, यदि किसी भी प्रकार की दस्तावेजों/जानकारी में कमी होगी, या फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य होगी एवं नियत तिथि व समय के पश्चात् यदि मेरी निविदा विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के अलावा यदि मैंने निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित की है या विश्वविद्यालय द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त, दिशा निर्देशों का यदि मैंने पालन नहीं किया है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वयं निरस्त मानी जावेगी एवं विश्वविद्यालय का कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर